ई–मेल

**स्वास्थ्य निदेशालय**
**बिहार, पटना**
**आदेश**

ज्ञापांक –11/एल0(स्था0)–05/2018........... (11) /पटना,दिनांक – / /2018

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–8274, दिनांक 07.07.2017 के बैठक की कार्यवाही के क्रमांक 38 एवं 39 में जिन दो स्वास्थ्य कर्मियों की संविदा पर नियुक्ति की अनुशंसा की गई, तत्पश्चात् राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (कुष्ठ) बिहार, पटना के द्वारा नियमाकुल अग्रेतर कार्रवाई नहीं किया गया है। बिना स्वीकृतादेश/आदेश एवं विभागीय अनुमोदन के संविदा पर अनियमित नियुक्ति कर ली गई है।

स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 993(11), दिनांक 03.10.2018 एवं पत्रांक 1062(11), दिनांक 25.10.2018 के द्वारा संविदा पर नियुक्ति से संबंधि आदेश/अभिलेख एवं संविदा पर नियुक्ति से संबंधित सक्षम प्राधिकार पत्र, विभाग द्वारा मांग किये जाने के निदेश के बावजूद भी उपस्थापित नहीं किया जाना विभागीय आदेशों की अवहेलना एवं कार्य के प्रति लापरवाही का द्योतक है।

स्वास्थ्य विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग को श्री राम प्रसाद साह, (सेवानिवृत) के संदर्भ में फर्जी/गलत जानकारी दिया गया है। जिसमें श्री साह का प्रधान लिपिक पद पर सेवानिवृति की जानकारी भेजी गई। जबकि राज्य कुष्ठ निवारण कार्यालय के पत्रांक –292 दिनांक 14.08.2018 के द्वारा प्रतिवेदित है कि संलग्न कार्यलय में प्रधान लिपिक का पद स्वीकृत नहीं है।

संबधित संविदा कर्मी को बिना स्वीकृतादेश/आदेश के मुख्यशीर्ष व्यावसायिक मद से मानदेय का भुगतान भी किया गया है, जो वित्तीय अनियमितता का मामला है।

अत तत्काल प्रभाव से अवैध तरीके से संविदा पर नियुक्ति किये गये कर्मी क्रमशः श्री राम प्रसाद साह, सेवानिवृत लिपिक, (ई0एस0टी0) राज्य कुष्ठ निवारण कार्यालय, स्वास्थ्य भवन सुलतानगंज, पटना एवं श्री सरोज कुमार शर्मा, सेवानिवृत, अचिकित्सा सहायक, जिला कुष्ठ निवारण कार्यालय, सीतामढ़ी को संविदा समाप्त करते हुए संविदा रद्ध किया जाता है।

यह आदेश पत्र तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह0/
**(डा0 आर0 डी0 रंजन)**
निदेशक प्रमुख(रोग नियंत्रण)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना

ज्ञापांक –11/एल0(स्था0) –05/2018 1162 (11) /पटना,दिनांक – 03 / 12/2018

**प्रतिलिपिः**–अपर निदेशक, सह राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (कुष्ठ नियंत्रण) स्वास्थ्य भवन, सुलतानगंज, पटना /सिविल सर्जन, पटना, सीतामढ़ी/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना, सीतामढ़ी/जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी पटना,सीतामढ़ी/संबंधित जिला के क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपिः**–कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपिः**–जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना/सीतामढ़ी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपिः**–संबंधित कर्मी को सूचनार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिविः**–प्रधान सचिव के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकरी प्रशाखा–3, 4, 7, 12 एवं 17 स्वास्थ्य विभाग बिहार ,पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/12/18

**निदेशक प्रमुख(रोग नियंत्रण)**
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना